

कोर्स में शामिल होने के निर्देश

कोर्स का ध्येय :- नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए सुदृढ़ त्वरित एक्शन टीम को तैयार करना जो विशेष सूचना मिलने पर शत्रु के खिलाफ कारगर कार्यवाही करे तथा आपात स्थिति में किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हो ।

(A) **उद्देश्य:-** प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु :-

- (1) शारीरिक क्षमता के स्तर को उच्च मानक तक पहुँचाते हुए ओप्स स्केल के साथ लंबी अवधि तथा कई दिनों तक के आप्स करने में सक्षम होंगे ।
- (2) भारतीय सर्वे मैप का इस्तेमाल कर इलाके की भौगोलिक बनावट का सही आकलन करने में सक्षम होंगे ।
- (3) नेविगेशन के उपकरण की सहायता से अनजान जगह पर दिन रात में नेविगेट करने में सक्षम होंगे ।
- (4) GIS सॉफ्टवेयर तथा सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से अभियान की योजना बनाने में सक्षम होंगे ।
- (5) लड़ाई /मुठभेड़ की हालत में शत्रु पर प्रभावी फायर कर उनको बर्बाद करने में सक्षम होंगे ।
- (6) LWE प्रभावित क्षेत्र में IEDs को खोजना तथा मिलने पर उससे सुरक्षित बचने में सक्षम होंगे ।
- (7) शत्रु के इलाके में युक्तिपूर्वक कार्य करते हुए अपनी आप्स क्षमता की बढ़ाने में सक्षम होंगे ।
- (8) प्रभावी ढंग से विभिन्न टेक्टिकल आप्स की कार्यवाही करने में सक्षम होंगे ।
- (9) खतरे की हालत में एरिया वेपन से आरंभिक फायर करने में सक्षम होंगे ।
- (10) नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबन्धित विभिन्न विषयो (जैसे अपने आपको एवं अपने शत्रु को जानने) की व्याख्या करने में सक्षम होंगे ।

(11) शत्रु के इलाके / जंगल में 07 दिन तक आप्स करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम होंगे ।

(12) कार्मिक के बीच टीम भावना का विकास करने में सक्षम होंगे ।

(B) **योग्यता :-**

1. राजपत्रित अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी- 35 वर्ष से कम आयु के हो ।
2. हवलदार- 40 वर्ष से कम आयु के हो ।
3. सिपाही - 30 वर्ष से कम आयु के हो ।
4. चिकित्सा श्रेणी- शेप - 1 हो ।

(C) **अवधि :-** इस कोर्स की अवधि 07 सप्ताह की होगी । सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू होने से 02 दिन पहले संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण / कोर्स से संबन्धित औपचारिकताएं समय पर पूर्ण हो सके।

(D) **यूनिट के द्वारा कोर्स पूर्व तैयारी:-** यहाँ के विषम मौसम तथा कोर्स में अपेक्षित शारीरिक कठोरता को ध्यान में रखते हुए कोर्स से पहले यूनिट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये ।

(E) **इस तथा उपकरण:-** सभी प्रशिक्षु कोर्स से संबन्धित निम्न सामग्री / उपकरण अपने साथ लाना सुनिश्चित करे।

क. लाईट बेडिंग (मच्छरदानी सहित)

ख. पीटी ड्रेस- 02 जोड़ी , खाकी ड्रेस- 02 जोड़ी, कम्बैट ड्रेस-02 जोड़ी , जंगल शूज - 01 जोड़ी ।

ग. पोच- पिट्टू

घ. मुफति ड्रेस ।

(F) **हथियार तथा अम्युनिशन:-** सभी प्रशिक्षुओं को इस कोर्स हेतु हथियार साथ लाना होगा । अम्युनिशन तथा एक्सप्लोसिव इस संस्थान के द्वारा फायरिंग अभ्यास हेतु दिया जाना है।

(G) **मैस एडवांस :-** सभी प्रशिक्षु को निम्नानुसार मैस एडवांस जमा करना होगा ।

1 राजपत्रित अधिकारी - Rs-7000/-

2 अधिनस्थ अधिकारी Rs- 5000/-

3 अन्य रैंक- Rs-4000/-

(H) **शिवपुरी में आगमन** :- शिवपुरी, रेल तथा सड़क मार्ग से समुचित रूप से तथा ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा झांसी से सड़क मार्ग से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर तथा झांसी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तथा इनकी दूरी यहाँ से क्रमशः 115 किमी तथा 109 किमी है। शिवपुरी में भी रेलवे स्टेशन है तथा यह ग्वालियर-इन्दौर-भोपाल रेलवे खण्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस रेल मार्ग पर रेल का आवागमन सीमित संख्या में होती है।

(I) **स्थान / स्थिति** :- CIAT स्कूल, शिवपुरी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर गुना की तरफ NH- 03 पर स्थित है। यह राजमार्ग AB रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्थान GR - 25° 27' 03.77" N तथा 77° 38' 52.95" E तथा समुद्र सतह से 1515 फिट (462 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है।

(J) **मौसम** :- शिवपुरी कर्क रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा सूखा व शीत ऋतु में ठंडा तथा सूखा मौसम होता है। ग्रीष्म की शुरुआत मध्य अप्रैल माह से होकर मध्य जुलाई माह में समाप्त होती है। इस अवधि में तापमान 45 सेल्सियस तथा इसमें ऊपर भी चला जाता है।

(K) **चिकित्सा प्रमाण पत्र** :- सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोर्स हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से फिट घोषित प्रमाण पत्र अपने वार्षिक मेडिकल जाँच रिपोर्ट के साथ संस्थान में आगमन पर प्रस्तुत करेगा।

(L) **प्रशिक्षण से वापसी** :-

क. आवश्यक योग्यात्मक मानदण्ड (क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट) को पूरा न करने वाले अयोग्य कार्मिको को उनके यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

ख. जो प्रशिक्षु चिकित्सीय रूप से अयोग्य अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित हो उन्हें कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी।

ग. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से 04 दिन से अधिक गैर हाजिर होने पर कोर्स से वापस किया जाएगा।

घ. प्रशिक्षुओ द्वारा किसी भी प्रकार से की गयी अनुशासनहीनता के कारण उन्हे वापस उनके यूनिट भेजा जा सकता है ।

(M) छुट्टी :- विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी ।

(N) दस्तावेज :-

क. संचालन आदेश

ख. पहचान पत्र

ग . कोर्स हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र

घ. हैल्थ कार्ड

च. वापसी का रेलवे वारंट

छ. केशलेस भुगतान के लिए एटीएम कार्ड

ज. 02 पासपोर्ट आकार के फोटो

(O) अन्य :-

1. विलम्ब से रिपोर्ट करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों पर कोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एयर वाउचर या रेलवे वारंट वापसी के लिए नहीं दिया जाएगा ।
3. विषय वस्तु से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया नियंत्रण कक्ष के दूरभाष न. 07492-225700 या Email ID pplciatsvp@crpf.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

